पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली सादिक आदेश
दिनांक 18/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

23/9/24

22-10-24 पत्रावली बाही एवं बादी अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तलब की गयी। प्रकरण मे पेशी दिनांक 18-11-24 नियत है। प्रकरण मे पेशी दिनांक 18-11-24 के बजाय 28-10-24 नियत की जाती है। जिसकी सूचना पक्षकारान को नोटिस करवाया जाया। स्टाफ अंकित है। प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 28-10-24 को पेश हो।

28.10-24 पत्रावली पेश हुई। बादी अधि० उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से पं० लक्ष्मीनारायण विद्युत कंपनी एडवोकेट का पेश हुआ। बादी ने प्रकरण मे प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य समझौते से राजीनामा हो जाने से इस प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र को विड्रो कर खारिज करने की प्रार्थना की है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी बाद विड्रो करने मे कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। दोनों पक्षकारों ने अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे विद्युत पत्र पंजीयन के सम्बन्ध मे विवाद होने से राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। इस प्रकार इस प्रकरण मे किसी पक्ष का कोई हित निहित नहीं है। बादी का बाद विड्रो करने मे आपत्ति प्रकट नहीं की। अतः बादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 21 RTA एवं के प्रार्थना पत्र पर विड्रो के आधार पर खारिज किया जाता है। प्रकरण मे दिनांक 16-08-24 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा समाप्त की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से डमी हो।

पक्षकारों विद्युत पत्र पंजीयन के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद होने से राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस प्रकार किसी पक्ष का कोई हित निहित नहीं है। प्रार्थना पत्र विड्रो करने में आपत्ति नहीं है।

पीठासीन अधिकारी
28-10-24

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा